UPMZ010038572016

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी–(ANURAG PANWAR), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02638

सत्र परीक्षण संख्या–528/2016

उत्तर प्रदेश सरकार ... अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजीद, निवासी–टोडा खटका, थाना–रूडकी कोतवाली, जिला–हरिद्वार, उत्तरांचल।

2– सलीम उर्फ सलमान पुत्र नानू, निवासी–खालापार तेलियों वाली गली, थाना–कोतवालीनगर, जिला–मुजफ्फरनगर।

... अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–129/2013,
धारा–307 भा0द0सं0,
थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर।

एवं

UPMZ010038582016

2–सत्र परीक्षण संख्या–529/2016

उत्तर प्रदेश सरकार ... अभियोजन पक्ष।

बनाम

इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजीद, निवासी–टोडा खटका, थाना–रूडकी कोतवाली, जिला–हरिद्वार, उत्तरांचल। ... अभियुक्त।

मु0अ0सं0–130/2013,
धारा–25 आर्म्स एक्ट,
थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर।

निर्णय

1– थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान के विरुद्ध मु0अ0सं0–129/2013, अन्तर्गत धारा–307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.07.06 16:59:54 IST
Reason: Judgment
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

2– अभियुक्त इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा के विरुद्ध मु0अ0सं0–130/2013, धारा–25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत भी आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3– प्रस्तुत दोनों वाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–1, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 02–05–2016 को न्यायालय सत्र सुपुर्द किये गये तथा सत्र न्यायालय के आदेशानुसार ये सत्र परीक्षण अन्तरण द्वारा प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा विचारण प्रारम्भ किया गया।

4– दोनों वाद एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण उनकी कार्यवाही को समेकित कर, दोनों पत्रावलियों का साक्ष्य सत्र परीक्षण सं0–528/2016 को मुख्य पत्रावली बनाकर, उसमें अंकित किया गया। दोनों सत्र परीक्षणों में साक्ष्य एक होने के कारण दोनों सत्र परीक्षण का निस्तारण इस निर्णय के माध्यम से एक साथ किया जा रहा है।

5– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा एस0ओ0 अरूण कुमार त्यागी द्वारा दिनांक 20–02–2013 को थानाहाजा पर इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया गया कि ''आज दिनांक 20–02–2013 को वह एस0ओ0 अरूण कुमार त्यागी मय उ0नि0 आनन्द प्रकाश, कां0–198 राहुल त्यागी, कां0–विजय कुमार, हारिश त्यागी कां0 प्रमोद कुमार चालक कविन्द्र सिंह मय जीप सरकारी नं0–यू0पी0–12ए0जी0–0004 के थाने से बहवाले जी0डी0–28 समय 12:30 बजे दिनांक 19–02–2013 वास्ते तलाश माल मुल्जिम समबन्धित मु0अ0सं0–128/13, धारा–392 भा0द0सं0 से रवाना होकर विभिन्न स्थानों से तलाश माल मुल्जिमान करते हुए थाना कस्बा पुरकाजी से भूराहेडी नारसन की तरफ जा रहे थे, जैसे ही हम लोग नगर पंचायत की टंकी के सामने पहुॅचे तो वादी मुकदमा अ0सं0–128/13, धारा–392 भा0द0सं0 को सुरेशपाल सिंह व इसके पुत्र राहुल ने सूचना दी कि जिन बदमाशों ने कल दिनांक 19–02–2013 को ग्राम–शकरपुर के पास हमारे दो लाख तीस हजार रूपये लूटे थे, वे तीन बदमाश इस समय एक सैन्ट्रो कार नं0–डी0एल0–9सी0ए0–8341 में सडक पर महाराज होटल के पास खडे है तथा वे तीनों बदमाश आज फिर से कोई बडी घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास करके वादी सुरेशपाल व उसके पुत्र राहुल को साथ लेकर बताये स्थान की तरफ चले जब वे लोग पीर के पास आये तो वादी व उसके पुत्र ने गाडी रूकवाकर इशारे से महाराज के होटल के उत्तर की तरफ सडक के किनारे खडी सेन्ट्रो कार तथा कार में दो व्यक्ति बैठे थे। एक व्यक्ति कार के पास खिडकी के पास नीचे खडा था। इस पर वे

लोगों ने अपनी जीप एक दम सैन्ट्रो कार के पास जाकर रूका तथा इन लोगों को टोका तो इन लोगों ने एक दम कहा पुलिस है गोली मार सालों को तो इस पर गाडी से बाहर खडे व्यक्ति तथा गाडी की अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने हम लोगों पर जान से मारने की नीयत से एक दम फायर किया, जिससे हम लोग बाल–बाल बच गये। हम लोगों ने अदम साहस का परिचय देते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए, इन पर एक दम दबिश दी तथा आवश्यक बल प्रयोग कर गाडी के अन्दर वाले व्यक्तियों को महाराज के होटल के उत्तर में कबाडी की दुकान के पास पकड लिए तथा गाडी के बाहर खडा व्यक्ति पूरब दिशा में जंगल की तरफ भाग लिया, जिसका पीछा कां0 विजय कुमार, कां0 प्रमोद कुमार ने किया, हाथ नहीं आया, जंगल का फायदा उठाकर भाग गया। दोनों पकडे हुए व्यक्तियों से नाम–पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो एक ने अपना नाम इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजीद, निवासी–घटका, थाना–रूडकी, जनपद–हरिद्वार बताया तथा इसके दाहिने हाथ से एक इंगलिस पिस्टल, जिसकी नाल पर ओटोमैटिक पिस्टल मैड इन यू0एस0ए0 तथा एक मैगजीन के अन्दर 2 जिन्दा मिले तथा पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से एक पांच–पांच सौ रूपये के नोट की गड्डी (50 हजार रूपये) जिसके ऊपर पंजाब नेशनल बैंक की स्लिप लगी है, बरामद हुई तथा दूसरे ने अपना सलीम उर्फ सलमान पुत्र नानू, निवासी–मौ0 खालापार तेलियों वाली गली जामियानगर, थाना–कोतवाली, मु0नगर बताया तथा इसके दाहिने हाथ से एक 315 बोर का तंमचा, नाल को खोलकर देखा गया तो नाल में खोखा फंसा है तथा नाल को सूंघकर देखा गया तो नाल से ताजे कार0 चले की गंध आ रही है तथा पहनी पेन्ट की जेब दाहिनी से 2 कार0 जिन्दा व एक गड्डी पांच–पांच सौ रूपये के नोट की (कुल 50 हजार रूपये) जिनके ऊपर पंजाब नेशनल बैंक की स्लिप लगी है, बरामद हुए तथा अभियुक्तगण उपरोक्त की सेन्ट्रो कार नं0–डी0एल0–9सी0ए0–8341 मिली अभियुक्तगण से बरामद अस्लाह, रूपये व सेन्ट्रो कार के बारे में पूछा गया तो अभियुक्तगण ने माफी मांगते हुए बताया कि साहब हमारा जो साथी अभी–अभी आपके ऊपर फायर करके भागा है, वह राकेश उर्फ आकाश उर्फ बिट्टू पुत्र कर्म सिंह, निवासी–मौ0 गुहा अम्बेहटा पीर, थाना–नकुड, जिला–सहारनपुर था। राकेश उर्फ आकाश उर्फ बिट्टू उपरोक्त व हम दोनों ने कल दोपहर में शकरपुर के जंगल में मोटरसाईकिल सं0–यू0पी0–10डी–1353 पर सवार व्यक्तियों से 2,30,000/– रूपये लूटे थे। वे तीनों भी एक डिस्कवर मोटरसाईकिल पर थे तथा उन्हें अपनी सेन्ट्रो कार भी पुरकाजी में खडी कर रखी थी।

वह मोटरसाईकिल राकेश उर्फ आकाश उर्फ बिट्टू की थी, जिसे वह सहारनपुर में कहीं खडी कर आया था। उस लूट के 50-50 हजार रूपये उन दोनों को उसने दिये थे तथा एक लाख तीस हजार रूपये उसके पास है। आज वे लोग यहां पर लूट की घटना करने आये थे। यह पिस्टल व तमंचा भी राकेश उर्फ आकाश उर्फ बिट्टूने उन्हें दिया था तथा सेन्ट्रो कार के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और न ही गाडी के कोई कागजात पेश कर सके। वादी मुकदमा व उसके पुत्र ने अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान उपरोक्त व 50-50 हजार रूपये की दोनों गड्डियां को देखकर व पहचान कर बताया कि यह दोनों गड्डी उनकी है। ये दोनों बदमाश भी वही है, जिन्होंने उनके साथ कल लूट की घटना की थी। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं। उक्त फर्द के आधार पर मुकदमा कायम हुआ और कार्यवाही अमल में लायी गयी, जो फर्द प्रदर्श क-1 है।

6- वादी मुकदमा की उपरोक्त फर्द प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना-पुरकाजी, जिला-मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0-129/2013, धारा-307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 20-02-2013 को अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान एवं मु0अ0सं0-130/2013, धारा-25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 20-02-2013 को अभियुक्त इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाकर मूल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की गयी, जिसका इन्द्राज उसी दिन जी0डी0 प्रदर्श क-5 में किया गया।

7- प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा-नजरी तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान के विरुद्ध धारा-307 भा0दं0सं0 का अपराध पाते हुये, आरोप-पत्र प्रदर्श क-7 एवं अभियुक्त इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा के विरुद्ध धारा-25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाते हुये, आरोप-पत्र प्रदर्श क-8 न्यायालय में प्रेषित किये गये।

8- दिनांक 01-08-2019 को अभियुक्त इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा न्यायालय में उपस्थित आया और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध धारा-307 भा0दं0सं0 व धारा-25 आर्म्स एक्ट के अलग-अलग आरोप विरचित किये गये तथा दिनांक 16-09-2019 को अभियुक्त सलीम उर्फ सलमान न्यायालय में उपस्थित आया और न्यायालय द्वारा उसके

विरुद्ध धारा–307 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा गया।

9– अभियोजन द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत कराया गया हैः–

1	वादी मुकदमा सेवानिवृत्त अरूण कुमार त्यागी	पी0डब्लू0–1
2	उ0नि0 कुशलपाल सिंह	पी0डब्लू0–2
3	एच0सी0 राहुल त्यागी	पी0डब्लू0–3
4	विवेचक सेवानिवृत्त रामभूल सिंह	पी0डब्लू0–4

10– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैः–

क्र0	प्रपत्र	प्रदर्श	साक्षी
1	फर्द	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1
3	गिरफ्तारी की रेडियोग्राम	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–1
4	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–2
5	जी0डी0	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–2
6	नक्शा–नजरी	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–4
7	आरोप–पत्र मु0अ0सं0–129/13, अन्तर्गत धारा–307 भा0द0सं0	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–4
8	आरोप–पत्र मु0अ0सं0–130/13, अन्तर्गत धारा–25 आर्म्स एक्ट	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–4
9	अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–4
10	कपडा	वस्तु प्रदर्श–1	पी0डब्लू0–1
11	पिस्टल	वस्तु प्रदर्श–2	पी0डब्लू0–1
12	दो कारतूस	वस्तु प्रदर्श–3 व 4	पी0डब्लू0–1
13	कपडा	वस्तु प्रदर्श–5	पी0डब्लू0–1
14	दो कारतूस 315 बोर	वस्तु प्रदर्श–6 व 7	पी0डब्लू0–1
15	तमंचा	वस्तु प्रदर्श–8	पी0डब्लू0–1
16	दो नोटों के बण्डल	वस्तु प्रदर्श–9 व 10	पी0डब्लू0–1

11– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक एवं घटना को साबित करने के लिये परीक्षित कराये गये पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा रिटायर्ड निरीक्षक अरूण कुमार त्यागी द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 20–02–2013 को वह थानाध्यक्ष पुरकाजी के पद पर नियुक्त था। दिनांक 19–02–2013 को वह मु0अ0सं0–128 / 13, धारा–392 भा०द०सं० की विवेचना में रपट नं0–28 समय 12:30 बजे तलाश माल मुल्जिम व विवेचना में मामुर हुआ था। दिनांक 20–02–2013 को जब वह विवेचना करता हुआ नगर पंचायत की टंकी के पास आया तो वादी मुकदमा सुरेशपाल व उसका लडका राहुल मिले और बताया कि जिन बदमाशों ने कल उनके 2,30,000 / – रूपये लुटे थे। वह बदमाश महताब होटल के पास सैण्टरो कार के पास खडे है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए वह हमराही पुलिस बल व वादी और उसके लडके के साथ महताब होटल के पास आया तो वादी ने इशारा करके बताया कि यह वही बदमाश जो सौण्टरो गाडी के पास है। देखने पर 2 बदमाश अंदर बैठे थे और 1 बदमाश बाहर खिडकी पर खडा था। हम पुलिसवालों ने एकदम अपनी गाडी सैण्टरो कार के सामने लगायी तो बाहर खडे बदमाश ने व अगली खिडकी पर बैठे बदमाश ने हम लोगों को जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे वे लोग बाल–बाल बच गये। एक बदमाश पूर्व दिशा को भागा, जिसका पीछा कांस्टेबल विजय कुमार व प्रमोद कुमार ने किया, परन्तु जंगल होने के कारण भाग गया, हाथ नहीं आया। गाडी में बैठे दोनों बदमाशो ने भागने का प्रयास करते समय कबाडी की दुकान के पास आवश्यक बल प्रयोग करके पकड लिया। पकडे गये व्यक्तियों से उनके नाम पते पूछते हुए जमा तलाशी ली गयी तो एक बदमाश ने अपना नाम इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजिद, निवासी–खटका, थाना–रूडकी, जिला–हरिद्वार बताया, जिसके दाहिने हाथ से एक इंग्लिश पिस्टल जिसकी नाल पर एक ओटोमेटिक पिस्टल मेड इन यू०एस०ए० और दूसरी तरफ 9.657 RDUN No-9002 तथा नाल के ऊपर ओनली पब्लिक सप्लाई लिखा था। मैग्जीन पर 335 लिखा था। मैग्जीन के अंदर 2 जिंदा कारतूस तथा दाहिने पैंट की दाहिने जेब से एक 500 रूपये के नोट की गड्डी (50000 रूपये) बरामद हुए, जिसके ऊपर पंजाब नेशनल बैंक की स्लीप लगी थी। दूसरे ने अपना नाम सलीम उर्फ सलमान पुत्र नानू, निवासी–खालापार तेलिया वाली गली, थाना–कोतवालीनगर, जिला–मुजफ्फरनगर बताया, जिसके दाहिने हाथ से 1 अदद तमंचा 315 बोर, नाल खोलकर देखा तो एक खोका कारतूस फंसा हुआ था, जिसमें ताजे चले बारूद की बू आ रही थी। पहनी पैंट की दाहिने जेब से 2 जिंदा कारतूस 315 बोर

व 500 रूपये की एक गड्डी (50,000 रूपये) बरामद हुए, जिसके ऊपर पंजाब नेशनल बैंक की स्लीप लगी थी। एक सैण्टरो कार DL9CA–4341 अभियुक्तगण से बरामद समान के सम्बन्ध में पूछा गया, अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 19–02–2013 को जो लूट हुई थी, उसके यह रूपये है। वे मोटरसाईकिल से गये थे और सैण्टरो कार पुरकाजी में ही खडी कर दी थी और भागे हुए बदमाश का नाम राकेश उर्फ आकाश उर्फ बिट्टू, पुत्र करमसिंह, निवासी–अमेठा पीर, थाना–नकुड, जिला–सहारनपुर बताया। जो 2,30,000/– रूपये लूटे थे उसने उन्हें 50,000–50,000/– रूपये दिये थे, बाकि 1,30,000/– रूपये राकेश के पास है। अभियुक्तगण को उनका जुर्म बताकर हिरासत पुलिस लिया गया। बरामद माल को अभियुक्तवार अलग–अलग कपडों में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर बोल–बोल कर एस०आई० आनन्द प्रकाश से लिखवायी गई थी। फर्द की नकल अभियुक्तगण को देकर उनके हस्ताक्षर कराये थे। गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया था। मूल फर्द पत्रावली के कागज सं0–5क पर मौजूद है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिनकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर <u>प्रदर्श क–1</u> डाला गया। गिरफ्तारी मेमो पत्रावली पर कागज सं0–9क पर मूल रूप में मौजूद है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर <u>प्रदर्श क–2</u> डाला गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना का रेडियोग्राम पत्रावली के कागज सं0–10क पर मौजूद है, जिस पर <u>प्रदर्श क–3</u> डाला गया। फर्द के आधार पर थाने पहुँचकर मु०अ०सं०–129/13, धारा–307 भा०द०सं० व 130/13 व 131/13 धारा–25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। चिक पर उसके हस्ताक्षर है। मुकदमें से सम्बन्धित माल मुकदमा न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें 1 पिस्टल सफेद बंद कपडे में सील बंद अवस्था में है, जिस पर मु०अ०सं०–130/13 लिखा है तथा इस मुकदमें से सम्बन्धित मुकदमें का विवरण लिखा है। कपडे पर <u>वस्तु प्रदर्श–1</u> डाला गया। कपडे पर उसके व मुल्जिम गवाहों के हस्ताक्षर हैं, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया, जिसमें से 2 जिंदा कारतूस व एक पिस्टल जिस पर ओटोमेटिक पिस्टल मेड इन यू०एस०ए० लिखा है। दूसरी तरफ 9.657 RDUN No-9002 लिखा है और एक मैग्जीन लगी है, जिस पर जंग लगा है, जो इसमें फँसी हुई है। पिस्टल पर <u>वस्तु प्रदर्श–2</u> डाला गया। जिंदा कारतूसों पर <u>वस्तु प्रदर्श–3</u> व 4 डाला गया। दूसरा पुलिंदा जो सफेद कपडे में सील बंद है और उस पर मु०अ0सं0–131/13 लिखा है, जिस पर मुकदमें का विवरण भी अंकित है। कपडे पर <u>वस्तु प्रदर्श–5</u> डाला गया। कपडे

पर उसके व मुल्जिम गवाहों के हस्ताक्षर हैं, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। जिसमें से 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, जिन पर वस्तु प्रदर्श–6 व 7 डाला गया और तमंचे पर वस्तु प्रदर्श–8 डाला गया, जिसकी लम्बाई 1 बालिस्त चार अंगूल है, नाल 8 अंगूल व बाडी 7 अंगूल व बट करीब 6 अंगूल है, जो इस समय जंग लगा हुआ है। तमंचे को खोलकर देखने का प्रयास किया गया, परन्तु जंग लगे होने के कारण नहीं खोला जा सका, जिसमें एक खोका कारतूस फँसा हुआ है। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित धनराशि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–1 द्वारा दिनांक 14–03–2013 के आदेश के अनुपालन में वादी को दिनांक 20–03–2013 को प्रदान की जा चुकी है। न्यायालय का आदेश व सुपुर्दगीनामा की छायाप्रति न्यायालय में दाखिल करता है तथा न्यायालय के समक्ष नोटो की छायाप्रति जिस पर मु०अ0सं0–128/13 पडा है, पेश की गयी, जो एक लाल रंग के लिफाफे में है, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया, जिसमें मुकदमें से सम्बन्धित 1,00,000/– रूपये के नोटों की छायाप्रति के 2 बण्डल निकले, बण्डल 1 पर वस्तु प्रदर्श–9 व बण्डल 2 पर वस्तु प्रदर्श–10 डाला गया।

12– पी0डब्लू0–2 उ0नि0 कुशलपाल सिंह द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि वर्ष–2013 में वह थाना–पुरकाजी पर बतौर हैड मोहर्रिर कार्यरत था। दिनांक 20–02–2013 को समय 18:15 बजे एस0ओ0 अरूण कुमार त्यागी रवाना शुदा से मय फोर्स मय दो नफर अभियुक्त इसरार व सलीम एक पिस्टल 32 बोर, एक तमंचा 315 बोर 4 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर एक सेन्ट्रो कार नं0–डी0एल0–9सी0ए0–8341, एक किता फर्द लाकर थाने पर दाखिल किये। अभियुक्तगण को हवालात मर्दाना बन्द किया गया तथा माल को मालगृह में रखा गया। उसके द्वारा मु0अ0सं0–129/2013, धारा–307 भा0द0स0 बनाम इसरार आदि, मु0अ0सं0–130/13, धारा–25 आर्म्स एक्ट बनाम इसरार, मु0अ0सं0–131/13, धारा–25 आर्म्स एक्ट बनाम सलीम उर्फ सलमान के विरूद्ध उसके द्वारा उपरोक्त मुकदमें पंजीकृत किये गये और इसरार व सलीम से 50,000/–50,000/– रूपये बरामद दाखिल किये गये। इन मुकदमों का खुलासा उसके द्वारा जी0डी0 नं0–24 समय 18:15 बजे दिनांक 20–02–2013 किया गया। मुकदमें की विवेचना उ0नि0 रामभूल सिंह को दी गयी थी। चिक पत्रावली पर कागज सं0–4क/1 ता 4क/2 है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। जी0डी0 पत्रावली पर कागज सं0–6/9 है, जिसे वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

13– पी0डब्लू0–3 एच0सी0 राहुल त्यागी द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 20–02–2013 को वह थाना पुरकाजी पर कां0 के पद पर तैनात था। वह एस0ओ0 अरूण त्यागी, दरोगा अनन्त प्रकाश, कां0–विजय कुमार, कां0–हरिश त्यागी, कां0 प्रमोद कुमार, चालक कविन्द्र सिंह मय जीप सरकारी थाने से जी0डी0 नं0–28 समय 12:30 बजे दि0 19–02–2013 वास्ते तलाश माल मुल्जिम सम्बन्धित मु0अ0सं0–128/13, धारा–392 भा0द0सं0 रवाना होकर विभिन्न स्थानों की तलाश करते हुए कस्बा पुरकाजी से भूराहेडी रास्ते के तरफ जा रहे थे। हम लोग नगर पंचायत की टंकी के सामने पहुॅचे तो वादी मुकदमा सुरेशपाल व उसके पुत्र राहुल ने सूचना दी कि जिन बदमाशों ने कल दिनांक 19–02–2013 को ग्राम सकरपुर के पास उनके 2,30,000/– रूपये लूटे थे। ये तीनों बदमाश इस समय एक सैन्ट्रों कार डी0एल0–9सी0ए0–8341 में सडक पर मेहराज के होटल के पास खडे हैं। ये तीनों बदमाश आज फिर कोई बडी घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास करके वादी उसके पुत्र को साथ लेकर उनके बताये गये स्थान की ओर चले। जब ये लोग पीर के पास आये तो वादी व उसके पुत्र ने गाडी रूकवाकर दूर से मेहराज के होटल की तरफ इशारा करके सडक के किनारे खडी एक सैन्ट्रों कार की तरफ इशारा करके दिखाया। सैन्ट्रों कार में दो व्यक्ति बैठे थे तथा एक व्यक्ति खिडकी के बाहर खडा था, जिस पर हम लोगों ने अपनी जीप एकदम सैन्ट्रों कार के पास जाकर रोका तथा इन लोगों को टोका तो इन लोगों ने एकदम से कहा पुलिस है। गोली मारों सालों को इस पर गाडी से बाहर खडे व्यक्ति तथा गाडी की अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने हम लोगों पर जान से मारने की नीयत से एकदम फायर किया, जिससे हम लोग बाल–बाल बच गये। हम लोगों ने अद्म्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए एकदम दबिश दी, आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गाडी के अन्दर वाले व्यक्ति को कबाडी की दूकान से पकड लिया तथा बाहर खडा व्यक्ति पूरब दिशा में जंगल की तरफ भाग लिया, जिसका पीछा कां0 विजय व प्रमोद ने किया हाथ नहीं आया। जंगल का फायदा उठाकर भाग गया। दोनों पकडे गये व्यक्तियों से नाम–पता व जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजीद, निवासी–बासी खटका, जिला–हरिद्वार बताया उसके दाहिने हाथ से एक इंगलिश पिस्टल, जिसकी नाल पर एक ऑटोमैटिक मेड इन यू0एस0ए0 और दूसरी तरफ 9.657 आर.डी.यू.एन. नं0–9002 तथा नाल के ऊपर ओनली पब्लिक सप्लाई लिखा था। मैग्जीन पर नं0–335 लिखा था।

मैग्जीन के अन्दर दो जिन्दा कारतूस तथा दाहिने पेंट की दाहिनी जेब से एक 500 / – रूपये (50,000) की नोट की गड्डी बरामद हुई, जिसके ऊपर पी0एन0बी0 बैंक की स्लिप लगी थी। दूसरे ने अपना नाम सलीम उर्फ सलमान पुत्र नानू, नि0खालापार तेलियों वाली गली, थाना–कोतवाली, जिला–मु0नगर बताया, जिसके दाहिने हाथ से एक अद्द तमंचा 315 बोर बरामद हुआ, जिसकी नाल खोलकर देखा तो एक खोखा कारतूस फंसा हुआ था, जिसमें ताजे चले बारूद की बू आ रही थी। पहले पेंट की दाहिने जेब से 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 500 रूपये की एक गड्डी (50,000) रूपये बरामद हुए, जिसके ऊपर पी0एन0बी0 बैंक की स्लिप लगी थी। एक सैण्ट्रो कार–डी0एल0–9सी0ए0–4341 अभियुक्तगण से बरामद सामान के सम्बन्ध में पूछा गया। अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 19–02–2013 को जो लूट हुई थी, उसके यह रूपये हैं। हम मोटरसाईकिल से गये थे और सैण्ट्रो कार पुरकाजी में ही खडी कर दी थी और भागे हुए बदमाश का नाम राकेश उर्फ आकाश उर्फ बिट्टू पुत्र करम सिंह, निवासी–अमेठा पीर, थाना–नकुड, जिला–सहारनपुर बताया, जो 2,30,000 / – रूपये लूटे थे, उसमें हमें 50,000–50,000 / – रूपये दिये थे। बाकि 1,30,000 / – रूपये राकेश के पास है। अभियुक्तगण को उनका जुर्म बताकर हिरासत पुलिस लिया गया। बरामद माल की अभियुक्तवार अलग–अलग कपडों में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। एस0ओ0 साहब द्वारा फर्द बोलकर दरोगा जी आनन्द प्रकाश से लिखवाई गयी थी। वह उस समय मौके पर इनके साथ मौजूद था, जिसकी वह शिनाख्त करता है।

14– <u>पी0डब्लू0</u>–4 रिटायर्ड उ0नि0 रामभूल सिंह द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 21–02–2013 को वह थाना–पुरकाजी पर बतौर उ0नि0 के पद पर तैनात था उसी दिन उसके द्वारा मु0अ0सं0–129 / 2013 व 130 / 2013, 'सरकार बनाम इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा', धारा–307 भा0द0सं0 व 25 आर्म्स एक्ट, थाना–पुरकाजी की विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा ग्रहण की गयी थी। उसी दिन सी0डी0 का पर्चा नं0–1 किता किया गया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, फर्द बरामदगी, बयान एफ0आई0आर0 लेखक, एस0सी0एम0 श्री कुशपाल सिंह बयान अभियुक्त अंकित किये गये। दिनांक 22–02–2013 को सी0डी0 का पर्चा नं0–2 किता किया गया, जिसमें बयान वादी अरूण कुमार के बयान अंकित किये गये और उ0नि0 अनन्त प्रकाश शर्मा व कां0–798 राहुल त्यागी, कां0–242 हरीश त्यागी, कां0–1395 विजय कुमार के बयान अंकित किये गये।

दिनांक 23–02–2013 को सी0डी0 का पर्चा नं0–3 किता किया गया, जिसमें निरीक्षण घटनास्थल वादी मुकदमा की निशानदेही पर किया गया व नक्शा–नजरी तैयार की गयी व आपराधिक इतिहास तैयार किया गया व सफाई साक्ष्य के बयान अंकित किये गये। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0–8क को देखकर बताया यह वही नक्शा–नजरी है, जो उसके द्वारा तैयार की गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक 24–02–2013 को सी0डी0 का पर्चा नं0–4 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त राकेश उर्फ आकाश की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। दिनांक 28–02–2013 को सी0डी0 का पर्चा नं0–5 किता किया गया, जिसमें राकेश उर्फ आकाश की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी तथा सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन कर अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू व सलीम उर्फ सलमान पर धारा–307 भा0द0सं0 व धारा–25 आर्म्स एक्ट का बखूबी अपराध साबित होना पाया गया, जिसमें न्यायालय में आरोप–पत्र सं0–45 / 2013 व आरोप–पत्र सं0–46 / 2013 व आरोप–पत्र सं0–47 / 13 दिनांक 28–02–2013 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0–3क को देखकर बताया यह वही आरोप–पत्र है, जो उसके द्वारा उसके हस्तलेख में तैयार किया गया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसे वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0–3क को देखकर बताया यह वही आरोप–पत्र है, जो उसके द्वारा व उसके हस्तलेख में तैयार किया गया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0–12क जिलाधिकारी के अनुमति आदेश विरूद्ध इसरार उर्फ छोटू को देखकर बताया यह वही आदेश है, जो जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया था।

15– दिनांक 19–06–2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान के बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 अंकित किये गये, जिनमें अभियुक्तगण द्वारा मुकदमें दर्ज होने के सम्बन्ध में कोई न कहना, साक्षीगण द्वारा गलत व झूठे बयान दिया जाना, उन्हें घर से गिरफ्तार किया जाना, झूठा मुकदमा चलाया जाना, उनसे कोई बरामदगी न होना, झूठा फंसाया जाना, स्वयं को निर्दोष बताते हुए, सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है।

16– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन द्वारा कोई भी विश्वसनीय साक्षी इस मामले

में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित होता हो। वास्तव में इस मामले में घटना का कोई भी विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, न ही किसी साक्षी द्वारा उनकी शिनाख्त की गयी है, किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, वे पूर्णतया निर्दोष हैं। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

17– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया कि साक्षीगण को परीक्षित कराकर, उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार सिद्ध है।

18– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

19– पत्रावली के सम्यक निस्तारण हेतु निम्न अवधार्य प्रश्न निर्धारित किये जाते हैं:–

(1) क्या अभियुक्तगण द्वारा पुलिसकर्मचारीगण पर जान से मारने की नीयत से फायर किये तथा पुलिस द्वारा अभियुक्त इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा को पकडे जाने पर उसके कब्जे से एक ऑटोमेटिक पिस्टल मेड इन यू0एस0ए0 32 बोर तथा 02 जीवित कारतूस बरामद हुए?

20– उपरोक्त विवाद्यक के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा पुलिसकर्मचारीगण पर जान से मारने की नीयत से फायर किये अथवा नहीं तथा पुलिस द्वारा अभियुक्त इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा को पकडे जाने पर उसके कब्जे से एक ऑटोमेटिक पिस्टल मेड इन यू0एस0ए0 32 बोर तथा 02 जीवित कारतूस बरामद हुए अथवा नहीं।

21– अभियोजन कथानक अनुसार पुलिसबल द्वारा अभियुक्तगण की सैन्ट्रो कार के पास जाकर उन्हें टोका तो अभियुक्तगण ने उनपर जान से मारने की नीयत से एक दम फायर किया, जिससे वे लोग बाल–बाल बच गये।

22– उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह विदित है कि अभियुक्तगण द्वारा चलायी गयी तथा कथित गोलियों से किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट आना दर्शित नहीं है, जबकि अभियुक्तगण द्वारा बेहद नजदीक

से पुलिस बल पर गोली चलायी। तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी। तीन अभियुक्तगण द्वारा नजदीक से 7 पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने की अवस्था में पुलिसकर्मियों को चोट आने की प्रबल सम्भावनाएं होती हैं, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से किसी भी पुलिसकर्मी को खरोंच तक नहीं आयी है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तगण द्वारा चलायी गयी गोली पुलिस की जीप या अन्य किसी स्थान पर लगने तथा परिणामस्वरूप गोली का निशान आने का भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

23– यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण के पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के उपरान्त भी किसी पुलिसकर्मी द्वारा अभियुक्तगण पर अपने बचाव में फायर नहीं किया गया। पी0डब्लू0–3 जो कि तथ्य का साक्षी है, के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है कि पुलिस पार्टी ने अपने बचाव के लिए कोई फायर नहीं किया। पुलिस द्वारा अपने ऊपर गोली चलने के उपरान्त भी अपने बचाव में गोली न चलाना सामान्य प्रतीत नहीं होता है, जिससे घटना में संदेह उत्पन्न होता है।

24– यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथानक अनुसार घटनास्थल रूडकी रोड हाईव होना दर्शित है, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, जहां आम जनता का आना–जाना लगा रहा है। पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि घटनास्थल भीडभाड वाला इलाका है तथा वहां ट्रैफिक का आवागमन लगा रहता है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथानक एवं तथ्य के साक्षीगण के अनुसार घटना दिन के 4 बजे की है। सार्वजनिक स्थल जहां कि आम जनता का आना–जाना लगा रहता हो, में दिन के 4 बजे हुई घटना, जिसमें एक से अधिक गोलियां चलायी गयी हों, में किसी स्वतंत्र साक्षी का न होना स्वाभाविक नहीं है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर उसका साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया। उपरोक्त के संदर्भ में साक्षी पी0डब्लू0–3 की प्रतिपरीक्षा महत्वपूर्ण है। साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि जनता का कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि घटनास्थल पर जनता के व्यक्ति मौजूद थे, जिन्होंने तथाकथित रूप से गवाह बनने से इंकार कर दिया है। किन्तु उपरोक्त व्यक्तियों का नाम व पता पुलिस द्वारा नहीं बताया गया और न ही विवेचक द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई विवेचना की गयी। उपरोक्त विश्लेषण से भी घटना असत्य प्रतीत होती है तथा स्वतंत्र साक्षी न होने के

अभाव में घटना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

25– पी0डब्लू0–3 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है कि उसे याद नहीं है कि घटना से पूर्व पुलिसबल द्वारा आपस में जामा तलाशी ली गयी थी अथवा नहीं। तथ्य के अन्य साक्षीगण द्वारा आपस में जामा तलाशी लेने का कोई कथन साक्ष्य में नहीं किया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पुलिसबल द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी वह उनसे की गयी तथाकथित बरामदगी से पूर्व एक–दूसरे की जामा तलाशी नहीं ली गयी। जामा तलाशी न लिये जाने के अभाव में अभियुक्तगण से हुई बरामदगी भी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

26– पत्रावली पर अभियुक्तगण से बरामद तथाकथित अपराध में उपर्युक्त आग्नेयास्त्र को एफ0एस0एल0 जांच हेतु भेजे जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण से बरामद आग्नेयास्त्र के चलने व कारगर अवस्था में होने की कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त आख्या के अभाव में यह सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त से बरामद आग्नेयास्त्र फायर करने में सक्षम था या नहीं। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण से बरामद खोखा कारतूस का भी मिलान आग्नेयास्त्र से नहीं कराया गया है तथा उपरोक्त कारतूस का बरामद आग्नेयास्त्र से चलाये जाने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

27– उल्लेखनीय है कि सत्र परीक्षण के दौरान मालखाना मोहर्रिर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर परीक्षित नहीं कराया गया है। मालखाना मोहर्रिर के साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण से बरामद आग्नेयास्त्र एवं अन्य वस्तु सम्बन्धित मालखाने में जमा की गयी अथवा नहीं और यह कि न्यायालय में प्रस्तुत विषयवस्तु वहीं है, जो पुलिसकर्मियों द्वारा घटना के उपरान्त मालखाने में जमा की गयी थी।

28– तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि एक अन्य लूट के मुकदमें में सम्बन्धित वादी मुकदमा सुरेशपाल व उसके पुत्र राहुल ने अभियुक्तगण के घटनास्थल पर मौजूद होने की सूचना उन्हें दी थी। घटनास्थल पर अभियुक्तगण के उपस्थित होने तथा पुलिसपार्टी पर जानलेवा हमला करने का आधार उपरोक्त सुरेशपाल एवं उसके पुत्र राहुल द्वारा सूचना दिया जाना परिलक्षित है, जिसके कारण उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का घटनाक्रम को सिद्ध करने हेतु न्यायालय में परीक्षित कराया जाना अति आवश्यक था। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को किसी अन्य मुकदमें में

वादी मुकदमा होने के उपरान्त भी न्यायालय न परीक्षित कराया जाना सामान्य नहीं है। उपरोक्त से भी घटना बनावटी व विनिर्मित प्रतीत होती है। उपरोक्त के दृष्टिगत विवाद्यक सं0–1 अभियोजन के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

29– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक परिशीलन से यह सिद्ध है कि अभियोजन ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिससे कि घटना में किसी भी प्रकार की सत्यता प्रतीत हो।

30– प्रस्तुत अभियोग में अभियोजन अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान के विरूद्ध आरोप को साबित नहीं कर सका है तथा इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजीद, निवासी–टोडा खटका, थाना–रूडकी कोतवाली, जिला–हरिद्वार, (उत्तरांचल) व सलीम उर्फ सलमान पुत्र नानू, निवासी–खालापार तेलियों वाली गली, थाना–कोतवालीनगर, जिला–मुजफ्फरनगर उक्त सत्र परीक्षण सं0–528 / 2016, मु0अ0सं0–129 / 2013, अन्तर्गत धारा–307 भा0द0सं0, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर तय आरोप से अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजीद, निवासी–टोडा खटका, थाना–रूडकी कोतवाली, जिला–हरिद्वार, (उत्तरांचल) उक्त सत्र परीक्षण सं0–529 / 2016, मु0अ0सं0–130 / 2013, अन्तर्गत धारा–25 आर्म्स एक्ट, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर में तय आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान के विरूद्ध आरोप को साबित नहीं कर सका है तथा इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजीद, निवासी–टोडा खटका, थाना–रूडकी कोतवाली, जिला–हरिद्वार, (उत्तरांचल) व सलीम उर्फ सलमान पुत्र नानू, निवासी–खालापार तेलियों वाली गली, थाना–कोतवालीनगर, जिला–मुजफ्फरनगर उक्त सत्र परीक्षण सं0–528 / 2016, मु0अ0सं0–129 / 2013, अन्तर्गत धारा–307 भा0द0सं0, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर तय आरोप से अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा पुत्र मजीद, निवासी–टोडा खटका, थाना–रूडकी कोतवाली, जिला–हरिद्वार, (उत्तरांचल) उक्त सत्र परीक्षण सं0–529 / 2016, मु0अ0सं0–130 / 2013, अन्तर्गत धारा–25 आर्म्स एक्ट, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर में तय आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान जिला कारागार में निरूद्ध हैं। उनका रिहाई परवाना अविलम्ब जिला कारागार, मुजफ्फरनगर को प्रेषित हो। जेल में निरूद्ध अभियुक्तगण इसरार उर्फ छोटू उर्फ भूरा व सलीम उर्फ सलमान यदि किसी अन्य मामले में वांछित/निरूद्ध न हों तो उन्हें अविलम्ब रिहा किया जाये।

दोषमुक्त अभियुक्तगण द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत मु0 25,000–25,000/ रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो–दो जमानतें अन्दर सप्ताह दाखिल करें। कथित जमानतनामें अग्रिम 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

उक्त आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण सं0–529/2016 की पत्रावली पर भी रखी जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
दिनांकः 06–07–2026
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
दिनांकः 06–07–2026
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।